क्रम संख्या–266

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०–4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 1978

वैशाख 7, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 1176/सत्रह–वि०–1—31-1978

लखनऊ ,, 27 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1978 के रुप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण, (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1978)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इसे 27 फरवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा।

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक सौ रुपये की फीस" के पश्चात् शब्द "या ऐसी कम फीस जिसे राज्य सरकार सोसाइटियों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में अधिसूचित करे", बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 3-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3-क में, उपधारा (3) में, खंड (क) में, शब्द "दस रुपये की फीस" के स्थान पर शब्द "धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के बराबर या दस रुपये की फीस-जो भी कम हो", रख दिये जायेंगे।

धारा 25 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु किसी पदाधिकारी का निर्वाचन अपास्त कर दिया जायगा, जहां विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि—

(क) ऐसे पदाधिकारी द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है ; या

(ख) किसी उम्मीदवार का नाम-निर्देशन अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है ; या

(ग) निर्वाचन के परिणाम पर जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे पदाधिकारी से है, किसी नाम-निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने, या किसी मत को अनुचित रूप से प्राप्त, इंन्कार या रद्द करने से या किसी ऐसे मत को, जो शून्य है, प्राप्त करने से या सोसाइटी के किसी नियम के उपबन्धों के किसी अननुपालन से सारवान प्रभाव पड़ा है।

स्पष्टीकरण—(एक) किसी ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण करने वाला समझा जायगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा—

(एक) किसी निर्वाचक को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत देने से विरत रहने या किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या नाम वापस न लेने के लिए कपट, साशय दुर्व्यपदेशन, प्रपीड़न या चोट पहुंचाने की धमकी देकर उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है ;

(दो) किसी निर्वाचक को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या नाम वापस न लेने के लिए उत्प्रेरित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को कोई धन या मूल्यवान प्रतिफल या किसी स्थान या नियोजन का प्रस्ताव करता है या देता है या व्यक्तिगत फायदा या लाभ का कोई वचन देता है ;

(तीन) खण्ड (एक) और (दो) में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित (भारतीय दण्ड संहिता के अर्थान्तर्गत) करता है ;

(चार) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह या कोई व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या अध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जायगा, या बना दिया जायगा ;

(पांच) जाति, समुदाय, पंथ या धर्म के आधार पर संयाचना करता है ;

(छः) कोई ऐसा अन्य आचरण करता है जिसे राज्य सरकार भ्रष्ट आचरण विहित करे।

स्पष्टीकरण—(दो) 'किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत फायदा या लाभ का वचन देने' के अन्तर्गत स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें वह हितबद्ध है, प्रसुविधा देने का वचन भी है।

स्पष्टीकरण—(तीन) राज्य सरकार ऐसे निर्वाचनों के सम्बन्ध में संदेहों या विवादों की सुनवाई और विनिश्चय के लिए प्रक्रिया विहित कर सकती है और ऐसे निर्वाचनों से संबंधित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जिनके लिए इस अधिनियम में या सोसाइटी के नियमों में अपर्याप्त उपबन्ध हैं, उपबन्ध बना सकती है।"

उ० प्र० अध्यादेश सं० 8 सन् 1978

5—(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 1176 (2)/XVII-V-1-31-1978

Dated Lucknow, April 27, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Societies Registration (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature, and assented to, by the President on April 26, 1978 :

THE SOCIETIES REGISTRATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. ACT NO. 13 OF 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Societies Registration Act, 1860 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1978. Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on February 27, 1978.

2. In section 3 of the Societies Registration Act, 1860, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *after* the words "one hundred rupees" the words "or such smaller fee as the State Government may notify in respect of any class of societies" shall be *inserted*. Amendment of section 3 of Act no. XXI of 1860.

3. In section 3-A of the principal Act, in sub-section (3), in clause (*a*), *for* the words "a fee of ten rupees" the words "a fee equal to the registration fee payable under section 3 or rupees ten, whichever is less" shall be *substituted*. Amendment of section 3-A.

4. In section 25 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted*, namely : Amendment of section 25.

"Provided that the election of an office bearer shall be set aside where the prescribed authority is satisfied—

(*a*) that any corrupt practice has been committed by such office bearer; or

(*b*) that the nomination of any candidate has been improperly rejected; or

(*c*) that the result of the election in so far it concerns such office bearer has been materially affected by the improper acceptance of any nomination or by the improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void or by any non-compliance with the provisions of any rules of the society.

Explanation I—A person shall be deemed to have commited a corrupt practice who, directly or indirectly, by himself or by any other person—

(i) induces, or attempts to induce, by fraud, intentional misrepresentation, coercion or threat of injury, any elector to give or to refrain

from giving a vote in favour of any candidate, or any person to stand or not to stand as, or to withdraw or not to withdraw from being a candidate at the election;

(ii) with a view to inducing any elector to give or to refrain from giving a vote in favour of any candidate, or to inducing any person to stand or not to stand as, or to withdraw or not to withdraw from being, a candidate at the election, offers or gives any money, or valuable consideration, or any place or employment, or holds out any promise of individual advantage or profit to any person ;

(iii) abets (within the meaning of the Indian Penal Code) the doing of any of the acts specified in clauses (i) and (ii) ;

(iv) induces or attempts to induce a candidate or elector to believe that he, or any person in whom he is interested, will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure ;

(v) canvasses on grounds of caste, community, sect or religion;

(vi) commits such other practice as the State Government may prescribe to be a corrupt practice.

Explanation II—A 'promise of individual advantage or profit to a person' includes a promise for the benefit of the person himself, or of any one in whom he is *interested.*

Explanation III—The State Government may prescribe the procedure for hearing and decision of doubts or disputes in respect of such elections and make provision in respect of any other matter relating to such elections for which insufficient provision exists in this Act or in the rules of the society."

Repeal and saving.

5. (1) The Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1978, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पो० एस० यू० पी०—ए० पी० 40 सा० (विधा०)—27-4-78—(371)—1978—650 (मैक०)।